Written by कुमार सौवीर
Monday, 08 May 2017 09:23

:□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ : □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□-□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ :□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□-□□□□□□□ □□ □□□ □□, □□□□□-□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ :

□□□□□ □□□□□

□□□□ :सरकारी मलाई चाटने की आदत किसी अफीम की तरह होती है। प्राण निकल जा, मगर आदत छूटती ही नहीं। वजह है मोटी तनख्वाह, गाड़ी-घोड़ा, नौकर-चाकरों का फौज-फाटा, फोन-शोन, फर्शी सलाम का मजा, हुक्म करने का घमण्ड, ऊपरी कमाई और बीमारी-शीमारी के वक्त सरकारी खजाने से निकलने की सहूलियतें। बस यही सब तो वह मजा-मस्ती होती है, जिसकी लालच में सरकारी अमले के किसी भी कर्मचारी-अफसर अपने आप को सरकारी खजाने के खूंटे से बांधे रखता है। किसी लतहिड़ मदकची-अफीमची की तरह।

लेकिन आलोक बोस उनमें से शामिल नहीं हैं। जिन्दगी भर उन्होंने अपने कर्तव्य को तनिक भी मजाक बनाने नहीं दिया। जो तयशुदा सरकारी रकम और सुविधा उन्हें अनुमन्य थीं, उससे तनिक भी टस-से-मस नहीं किया आलोक ने। और आज अपनी जिन्दगी के 65 वें बरस में भी वे अपने नियम-निष्ठा से तनिक भी नहीं खिसके हैं। ताजा खबर है कि उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग से त्यागपत्र दे दिया है। वजह है उनकी बीमारी। अपने इस्तीफे में आलोक बोस ने साफ लिखा है कि वे इस समय वे बीमार हैं, और ऐसी हालत में वे अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर पाने में खुद को असमर्थ समझ रहे हैं। नतीजा, सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

जी हां, न्यायपालिका ही नहीं, सरकार और प्रशासनिक दायरों में भी आलोक बोस का नाम खूब जाना-पहचाना जाता है। न्यायपालिका में ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर बाराबंकी के जिला और सेशंस जज से लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जैसे ओहदे पर अपना नाम खूब कमाया है आलोक ने।

सन-12 में वे बाराबंकी के जिला जज के पद से सेवानिवृत्त हो गये। इसके बाद 11 मार्च-13 उन्हें राज्य सरकार ने राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया, जिसे सामान्य बोली में उपभोक्ता फोरम कहा जाता है। पांच साल के सेवा-अवधि वाले इस दायित्व वाले इस पद पर उन्होंने 13 मार्च-13 को ज्वाइनिंग दी। अपने इस नये कार्य-दायित्व के दौरान आलोक बोस ने कई ऐसे फैसले दिये जो माइल-स्टोन माने जाते हैं।

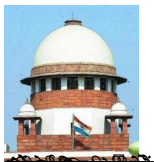

बीमार जज ने दिया इस्तीफा। इलाज सरकार से नहीं , मैं खुद कराऊंगा

Written by कुमार सौवीर
Monday, 08 May 2017 09:23

[illegible]

2 / 2